न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आइ0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 59 / 2023

प्रार्थी–

चुन्नीलाल पुत्र मकाराम जाति घांची,
निवासी समदड़ी, तहसील समदड़ी,
जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. भैराराम पुत्र मकाराम जाति घांची, निवासी समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।
2. तुलसी देवी पत्नी मकाराम जाति घांची, निवासी समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।
3. ग्राम पंचायत समदड़ी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत समदड़ी, पंचायत समिति समदड़ी

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 23 दिनांक 05.08.2016 जो विप्रार्थी सं. 1 के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पन्नालाल जांगिड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.03.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 05.08.2016 के विरूद्ध दिनांक 27.06.2022 न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रथम निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम इस आशय की पेश की कि प्रार्थी ग्राम समदड़ी का निवासी है, जिसका रहवासीय मकान बग्राम समदड़ी में घांचियों का वास में आया हुआ है। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार जिसका कुल क्षेत्रफल 2572 वर्ग फीट दर्शाया गया है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि आलोच्य भूखण्ड जिसके पड़ोस व नाप उत्तर ओर 38 व 39 फीट, दक्षिण की ओर 41 व 39 फीट, पूर्व की ओर 34 व 27 फीट, पश्चिम की ओर 36 व 34 फीट एवं पड़ौस उत्तर में रमेश कुमार कृपाराम सोनी, दक्षिण में वरदाराम जेठाराम चौधरी, पूर्व में मांगीलाल श्रीमाली एवं पश्चिम में आम रास्ता व मुख्य दरवाजा आया हुआ है। उक्त जायदाद मुझ पैतृक होने के कारण हम पक्षकारान का समान हक हिस्से का आता है। जिस पर हमारा समान हक हिस्से के अनुसार कब्जा कायम है। उक्त भूखण्ड पर मेरे पिताजी ने 2 कमरे, आगे खुला हॉल, रसोई, पशुओ के चारे का पक्का हाल, आगे 3 दूकाने बनाई थी, जिसमें निगराकार व गैर सायलान का पैतृक भूखण्ड पर निगराकार के पिता मकाराम पुत्र मोतीराम के नाम से जल कनेक्शन ले रखा है, साथ ही उक्त भूखण्ड पर मुझ निगराकार के नाम से विद्युत कनेक्शन ले रखा था। गैरसायल संख्या 01 के द्वारा पट्टा जारी करने को जो आवेदन पत्र गैरसायल संख्या 03 के समक्ष पेश किया गया, जिसमें वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है तथा उक्त पूरा भूखण्ड मुझ निगराकार व गैरसायल संख्या 01 व 02 को मेरे पिता स्व. मकाराम से अर्जित हुआ है, तथा उक्त पैतृक सम्पति का कोई विभाजन नहीं हुआ है। अतः उक्त पट्टा व जायदाद संयुक्त हिन्दू परिवार की व संयुक्त कब्जा की होने हुए गैर सायलान संख्या 01 ने आवेदन में झूठे तथ्य अंकित कर अपनी निजी सम्पति होना बताकर प्रश्नगत पट्टा गैरसायल संख्या 03 से जारी करवाया, जो कानूनी रूप से काबिले अपास्त निरस्त योग्य है

4. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत समदड़ी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थी संख्या 3 ग्राम पंचायत की ओर से वक्त बहस कोई उपस्थित नहीं।

6. प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि विधिनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज नियम 145 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा 25 रू नक्शा फीस तथा 25 रू मौका निरीक्षण फीस पंचायत के कोष कार्यालय में जमा करवाई जाती है, तत्पश्चात ही उक्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के कार्यालय में दर्ज कर मिसल कायम की जाती है। किन्तू उक्त प्रश्नगत पट्टा हेतू प्रस्तुत आवेदन के साथ न तो नक्शा फीस जमा करवाई, और न ही निरीक्षण फीस जमा करवाई गई, जो पूर्णतया अवैधता व अनियमितता रही है। पट्टा पत्रावली प्रस्तुत होने के पश्चात पंचायती राज नियम 146 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा 3 वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर पट्टा जारी करने वाले स्थल का निरीक्षण करना होता है, परन्तु उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का मौका निरीक्षण वार्ड पंचो की कमेटी

जिला कलक्टर
बालोतरा

द्वारा मुझ निगराकर को नोटिस देकर, मौका निरीक्षण नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आलौच्य पट्टा जारी करते वक्त न तो मौका कमेटी का गठन किया गया है, और न ही किसी प्रकार का कोई निरीक्षण ही किया गया अर्थात प्रश्नगत पट्टा जारी करने में पूर्णतया अवैधता एवं अनियमितता रही है। जिस पर वर्तमान निगरानी आलोच्य पटटा संख्या 23 दिनांक 05.08.2016 जिसे सरपंच ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया है को जो खारिज होने योग्य है।

7. अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकर्ता एवं विप्रार्थी संख्या 1 के पिता का नाम मकाराम है। निगरानीकर्ता के पिता मकाराम ने आलोच्य भूखण्ड को विप्रार्थी संख्या 01 को वसीयत कर दिया, जो कि स्वयं संपति है। उक्त वसीयतनामा ग्राम पंचायत के मिशल के साथ संलग्न है। जो आलोच्य भूखण्ड मकाराम ने विप्रार्थी संख्या 01 को वसीयत किया है, वो आलोच्य भूख्यण्ड तहसील से पंजीबद्ध किया हुआ एवं अप्रार्थी संख्या 02 भी सहमत है। निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी सं. 1 के पुश्तैनी रहवास एवं कब्जे का परिसर ग्राम समदड़ी की आबादी भूमि में अलग–अलग वार्ड संख्या में आए हुए है एवं अलग अलग निवास करते है। निगरानीकर्ता का पट्टा संख्या 14 जो कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा दिनांक 11.10.2008 को जारी किया गया है, जो कि अलग जगह आया हुआ है। विप्रार्थी संख्या 01 की दुकाने किराये पर दी गई है, जिसकी किरायानामा चिट्टी संलग्न है साथ ही विप्रार्थी संख्या 01 के नाम बिजली के बिल भी संलग्न है। निगरानीकर्तागण द्वारा इस निगरानी के द्वारा विवादित भूखण्ड पैतृक सम्पति होने के आधार पर अपना हक–हिस्सा होना अभिकथित किया हैं ऐसे में यदि इस भूखण्ड पर अपना कोई हक–हिस्सा होना मानते हैं तो उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय में घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत चाराजोही करनी चाहिए। इसी प्रकार आलौच्य पट्टा जारी होने के पश्चात पंजीबद्ध हो चुका हैं जिसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को हैं।

8. विप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 01 के आवेदन पत्र पर नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई तथा स्थानीय जांच उपरांत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस प्रकाशित किया। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में प्रस्ताव पारित कर आलौच्य पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधता नहीं की गई हैं। अप्रार्थी सं. 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर मिसल सं. 47/2016 में आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जिसके विरूद्ध प्रस्तुत इस

जिला कलक्टर
बालोतरा

निगरानी प्रार्थना पत्र मे धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के किसी भी पहलु पर आलौच्य पट्टा हस्तक्षेप योग्य प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें तथा आलौच्य पट्टा यथावत बहाल रखा जावे।

9. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई तथा स्थानीय जांच उपरांत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस प्रकाशित किया। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में प्रस्ताव पारित कर आलौच्य पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधता नहीं की गई हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि के अभाव में प्रार्थीगण की इस निगरानी में धारा 97 में विहित आधार नहीं बनता हैं। इसके अलावा भी आलौच्य पट्टा विलेख जारी होने से यदि प्रार्थीगण अपने हक–अधिकार प्रभावित होना मानते हैं तो उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। ऐसे में प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर उल्लेखित आधारों पर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

10. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप विप्रार्थी संख्या 3 द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 23 दिनांक 05.08.2016 को बहाल रखते हुए प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा